अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा अपील वाद संख्या 35/2012 रामचन्द्र साह एवं अन्य — अपीलार्थीगण वनाम शंकर साह — प्रत्यर्थी प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा भूमि विवाद वाद संख्या 31/2011 शंकर साह बनाम राम चन्द्र साह वगैरह में दिनांक 18.01.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि विवादित भूमि पूराना खाता सं० 212 पूराना खेसरा सं० 1268 नया खाता नं० 148 एवं नया खेसरा संख्या 2543 के अंतर्गत है। यह कि पुराना खतियान बूचाय साह पिता–कालीचरण साह एवं कंचन साह पिता–कालीचरण साह के नाम से दर्ज है। यह कि विवादी पूराना खेसरा निलामी खरीदगी मो० बक्त के द्वारा की गयी। यह कि खेसरा संख्या 1267 एवं 1268 पर अपीलार्थी/ प्रतिवादीगण के पूर्वजो के आवास बहुत पहले से अवस्थित था अतएव पूर्व भूमि मालिक ने अपीलार्थी को जमीन मोताबिक खिस्टा जरसम्मन के सुपुर्द की	

गयी जिसपर अपीलार्थी का लंबे समय से शांतिपूर्वक दखल कब्जा है।

यह कि रिभीजनल सर्वे में जगदीश साह के नाम से गलत तरीके से खतियान कायम किया गया एवं संगत एकरारनाम भी कायम किया गया, उपरोक्त के विरूद्ध बी०टी० एक्ट के धारा 106 के तहत अपीलार्थी द्वारा वाद दायर किया गया एवं आदेश उनके पक्ष में पारित किया गया।

यह कि खेसारा संख्या 1267 एवं 1268 कुल रकबा 11 डीसमल पर बहुत पूर्व में इन्दिरा गांधी आवास योजना के तहत पक्का मकान बना हुआ है एवं अपीलार्थी का विगत 12 वर्ष पूर्व से शान्तिपूर्ण ढंग से दखल कब्जा एवं स्वामित्व है। प्रत्यर्थी का वर्ष 2010 में केबाला भूमि पर दखल कब्जा नहीं है।

यह कि अपीलार्थी का दखल कब्जा प्रत्यर्थी के केबाला के पूर्व से है।

यह कि केबाला भूमि कृषि भूमि है अतएवं प्रश्नगत भूमि पर मकान एवं चहारदिवारी होने का तथ्य गलत है ।

यह कि विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा दिनांक18.01.2012 को पारित आदेश गलत एवं अवैधानिक है।

विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा अपील वाद संख्याः 31/11 के निष्पादन के क्रम में दिनांक 18.01.2012 को पारित आदेश से असंतुष्ट एवं क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा इस अपील वाद के माध्यम से वाद को स्वीकृत करने, वांछित अभिलेखों की मांग करने, प्रतिवादियों को नोटिस निर्गत करने एवं उभय पक्षों की सुनवाई कर उपरोक्त भ्रामक आदेश को निरस्त करते हुए सर्वमान्य एवं अनुकूल आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी द्वारा लिखित जबाब में कहा गया है कि प्रत्यर्थी/वादी निबंधित सेल डीड संख्या 9744 दिनांक 26.06.2010 के द्वारा मौजा –मुरली, परगना –फरकिया थाना –सलखुआ अंचल –बनमा ईटहरी, तौजी नं0 4923 नया खाता संख्या 148 नया खेसरा संख्या 2543 रकबा 5.5 डीसमल भूमि जगदीश साह, पिता– सुखदेव साह से खरीदा एवं प्रत्यर्थी/ वादी का खरीदगी जमीन पर दखल कब्जा के उपरान्त जमाबन्दी संख्या 889 मुटेशन वाद संख्या 640/11–12 से अपने नाम से दाखिल खारिज प्राप्त किया गया।

यह कि मौजा मुरली का नया खाता संख्या 148 नया खेसरा संख्या 2543 का कुल रकबा 5.5 डीसमल भूमि विवादित भूमि है।

यह कि हाल सर्वे खतियान जगदीश साह, पिता– स्व0

सुखदेव साह एक अंश एवं बासुदेव साह पिता सुमरित साह एक अंश मकान मय सहन रकबा 11 डी0 अंकित है। जिसमें दोनों ही खातेदारों का बराबर–बराबर हिस्सा है। जगदीश साह ने अपने हिस्से की आधी भूमि 5.5 डीसमल प्रत्यर्थी/वादी को निबंधित सेल डीड से दिनांक 26.06.10 को बेच दिया। अंचल सिरिस्ता के मौजा मुरली अंतर्गत नया खाता संख्या 148 नया खेसरा संख्या 2543 कुल रकबा 11 डीसमल के लिए जमाबंदी संख्या 148, जगदीश साह पिता सुखदेव साह एवं बासुदेव साह पिता सुमरित साह के नाम से कायम था।

यह कि उक्त भूमि से अपीलार्थी/प्रतिवादी का कोई सरोकार नहीं रहने के बाद भी उक्त भूमि से प्रत्यर्थी / वादी को बेदखल कर कर दिया।

यह कि उक्त भूमि प्रत्यर्थी/वादी के वास्तविक दखल कब्जा एवं स्वामित्व में है।

यह कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि से संबंधित सम्पूर्ण कागजात अवैध, गलत, फर्जी एवं बनावटी है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का सुना । अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्नन्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया।

सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि बी0 टी0 एक्ट वाद संख्या 8094/85 में पारित आदेश एक पक्षीय है। निम्न न्यायालय के आदेश में भी विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा यह अंकित किया गया है कि "अन्तिम प्रकाशित खतियान के विरूद्ध वाद संख्या 8094/85 में प्रतिवादीगण द्वारा मध्यवर्ती वादी के रूप में एकपक्षीय आदेश प्राप्त किया गया है जो मात्र विवादी खेसरा 2543 रकबा 11 डी0 से ही संबंधित है। ऐसी परिस्थिति में कथित वाद संख्या 8094/85 के मूल वादी डोगिल साह के नाम किसी भी खेसरा का दावा नहीं होना उक्त आदेश की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है। "

निम्नन्यायालय के अभिलेख पर रक्षित वाद संख्या 8094/85 डोमी साह वादी एवं रामचन्दर साह मध्यवर्तीवादीगण एवं अन्य बनाम जगदीश साह की छाया प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्वान सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "वादी के द्वारा वाद की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात वाद प्रविष्ट किया गया तदपुपरान्त प्रतिवादी को सम्मन निर्गत किया गया वाद में राम चन्दर साह वो सत्यनारायण साह वो कपिल

साह वो राजकुमार साह पिता स्व0 बासुदेव साह सा0 मुरली थाना सलखुआ जिला– सहरसा को मध्यवर्ती वादी पक्षकार बनाने की स्वीकृति दी गयी।" उक्त आदेश में आगे यह भी अंकित है कि "प्रतिवादी सम्मन की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात वाद एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णयार्थ स्वीकृत किया गया । वादी के वाद से अनुपस्थित होने के कारण वादी को साक्ष्य से बंचित कर मध्यवर्ती वादी को साक्ष्य देने का आदेश दिया गया। मध्यवर्ती वादी ने अपने दावे के समर्थन में विवादी जमीन से संबंधित एकरारनामा प्रतिवादी से प्राप्त होने का छायांकित प्रति दाखिल किया । वादी एवं स्वतंत्र गवाह ने अपने गवाही में विवादी खेसरा 2543 पुराना खेसरा 1267 एवं 1268 से बनने का बताया जिसका हाल सर्वे मध्यवर्ती वादी एवं प्रतिवादी का नाम से सही खुला है वादी गलत मंशा से विवादी जमीन पर अपना दावा मांग कर मोकदमा दिया है जबकि विवादी जमीन पर मध्यवर्ती वादी का दखल कब्जा है।"

निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह अंकित किया गया है कि " वादी द्वारा दाखिल कागजी प्रमाण एवं प्रतिवादी के दाखिल कागजातों के विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का स्पष्ट मत बनता है कि आवेदक द्वारा प्राप्त केवाला नं0 9744 दिनांक 26.06.2010 से खरीदगी भूमि खाता नया 148 खेसरा 2543 रकबा 5.5 डीसमल भूमि पर पूर्ण अधिकार एवं दखल है।" जबकि वाद संख्या 8094/85 के अनुसार वर्ष 2005 में ही विवादी भूमि पर मध्यवर्ती वादी श्री रामचन्दर साह का दखल कब्जा बताया गया है।

निम्नन्यायालय द्वारा बिना स्थलीय जॉच किये आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश का विधि सम्मत एवं वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित परिस्थिति में अपील वाद को स्वीकृत करते हुए निम्नन्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2012 में पारित आदेश को quash किया जाता है और भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को वाद का पुनः संचालन कर विवादी स्थल का स्वयं जॉच करने तथा विधि सम्मत एवं वास्तविक तथ्यों पर आधारित समुचित आदेश पारित करने हेतु Remand किया जाता है। इस अपील आवेदन की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा